''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 84] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 अप्रैल 2004—चैत्र 27, शक 1926

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2004

क्रमांक 2378/21-अ/प्रारूपण/04.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 2-4-2004 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 7 सन् 2004)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

छत्तीसगढ़ राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी, गैस और विद्युत ले जाने एवं औद्योगिक अपशिष्ट ले जाने के लिए पाइपलाईन निर्माण तथा उससे संबंधित कार्यों के लिए पाइपलाईन डालने हेतु भूमि के उपयोग के अधिकारों के अर्जन के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचपनवे वर्ष में छत्तीसगढ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयो के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।

(3) यह 1 मार्च , 2004 से प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएँ

2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,—

(क) " **सक्षम प्राधिकारी**" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिकृत करे ।

(ख) " **निगम**' से अभिप्रेत है, केन्द्र या राज्य के किसी अधिनियम के अधीन कोई निगमित निकाय अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं पंजीकृत कोई कंपनी ।

(ग) "**विहित**" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के द्वारा विहित ।

(घ) "**भूमिगत पाइपलाईन**" से अभिप्रेत है, भूमि की सतह से डेढ़ मीटर गहराई पर डाली गई पाइपलाईन ।

अर्जन के लिए अधिसूचना का प्रकाशन

3. (1) जब कभी जनहित में राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि किसी स्थान से दूसरे स्थान तक पानी, गैस, विद्युत ले जाने एवं औद्योगिक अपशिष्ट ले जाने के लिए पाइपलाईन निर्माण तथा उससे संबंधित कार्यो के लिए राज्य सरकार या निगम द्वारा पाइपलाईन डाली जा सकेगी और पाईपलाईन डालने के प्रयोजन के लिये किसी भूमि जिसके नीचे पाईपलाईन डाली जा सकेगी, के उपयोग के अधिकार अर्जन करना आवश्यक है, इसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के इस आशय की उद्घोषणा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा की जा सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना में भूमि का संक्षिप्त विवरण दी जायेगी ।

(3) सक्षम प्राधिकारी अधिसूचना का सार ऐसे स्थानों पर एवं ऐसी रीति से जैसा कि विहित किया जाय प्रकाशित करायेगा ।

(4) कोई व्यक्ति जो भूमि में हित रखता है, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित होने के 21 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी को भूमि के नीचे पाईपलाईन डालने के संबंध में आपत्ति कर सकेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक आपत्ति लिखित में सक्षम प्राधिकारी को किया जावेगा और उसके आधार बताये जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को या तो व्यक्तिगत अथवा विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी समस्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात् एवं ऐसी अन्य जांच, यदि कोई हो, जिसेकि प्राधिकारी आवश्यक समझे, करने के पश्चात् आदेश द्वारा आपत्तियों को या तो मान्य अथवा अमान्य कर सकेगा ।

(6) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (5) के अधीन किया गया आदेश अन्तिम होगा ।

उपयोग के अधिकार के अर्जन की उद्घोषणा

4. (1) जहां धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में सक्षम प्राधिकारी को कोई आपत्तियाँ नहीं की गई हैं या जहां उस सक्षम प्राधिकारी ने अन्तिम आदेश पारित कर दिया है वहां प्राधिकारी शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, उद्घोषणा करेगी कि पाइपलाईन डालने के लिए अधिसूचना में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्घोषणा के प्रकाशन होने पर उसमें दर्शित भूमि में उपयोग के अधिकार समस्त प्रभारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में पूर्णतः निहित होगी ।

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार ऐसी नियम एवं शर्तें जैसीकि उचित समझे, अधिरोपित करते हुए लिखित आदेश के द्वारा निर्देशित कर सकेगी कि पाइपलाईन डालने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार राज्य सरकार में निहित होने के बजाय पाइपलाईन प्रस्तावित करने वाली निगम में अधिरोपित नियम एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए समस्त प्रभारों से मुक्त निहित होगी ।

भूमि में प्रवेश, सर्वेक्षण इत्यादि की शक्तियाँ

5. धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उद्घोषणा के प्रकाशन होने पर राज्य सरकार या निगम द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति और उसके सेवकों एवं कार्यकर्ताओं के लिए यह विधिपूर्वक होगा कि :–

(क) अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी भूमि में प्रवेश करे और सर्वेक्षण करे एवं उसका तलमापन करे ;

(ख) अधोमृदा में खुदाई या उत्खनन ;

(ग) कार्य की आशयित दिशा का निर्धारण ;

(घ) चिन्हांकित एवं गड्ढे की खुदाई करके ऐसी ऊंचाईयों, घेराबन्दियों एवं लकीर चिन्हित करना ;

(घ) जहां अन्यथा सर्वेक्षण पूर्ण नहीं किया जा सका है और तलमापन नहीं किया गया है एवं घेराबन्दियाँ तथा लकीर चिन्हित नहीं किया जा सका है वहां किसी खड़ी फसल, झाड़ी या जंगल के किसी भाग की कटाई एवं सफाई; और

(च) ऐसे समस्त अन्य आवश्यक कार्य, जिससे भूमि के नीचे पाइपलाईन डाला जाना

सुनिश्चित किया जा सके ।

परन्तु जब इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसा व्यक्ति या उसका कोई सेवक ऐसी भूमि को यथासंभव कम से कम क्षति या नुकसान कारित करेगा।

राज्य सरकार या निगम के द्वारा पाइपलाईन्स डालना

6. (1) जहां, धारा 4 के अधीन किसी भूमि में उपयोग के अधिकार, राज्य सरकार या निगम में निहित हो गया है, वहां :–

(एक) राज्य सरकार या निगम, जैसा कि प्रकरण हो, द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति और उसके सेवकों के लिए यह विधिपूर्वक होगा कि ऐसी भूमि में प्रवेश करे और पाइपलाईन्स डाले और पाइपलाईन्स डालने के लिए कोई अन्य आवश्यक कार्य करे।

परन्तु कोई पाइपलाईन नीचे नहीं डाली जाएगी :–

(क) कोई भूमि, जो धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख के ठीक पूर्व आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाती थी;

(ख) कोई भूमि जो निवास गृह के संलग्नक है ।

(दो) ऐसी भूमि केवल भूमिगत पाइपलाईन्स डालने के लिए और ऐसी पाइपलाईन्स के संधारण, परीक्षण, सुधार, बदलने या हटाने या उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए कोई अन्य आवश्यक कार्य करने के लिए उपयोग में लायी जावेगी ।

(2) उपधारा (1) की कंडिका (एक) के परन्तुक के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद सक्षम प्राधिकारी को भेजा जावेगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा ।

निरीक्षण के लिए भूमि में प्रवेश करने की शक्ति

7. किसी पाइपलाईन के संधारण, परीक्षण, सुधार, बदलने या हटाने के लिए या उपर्युक्त किन्ही प्रयोजनों के लिए नाप–जोख या कोई निरीक्षण करने के लिए राज्य सरकार या निगम, द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसी भूमि के अधिभोगी को सकारण सूचना देने के पश्चात्, ऐसे कार्य करने वाले और सहायकों के साथ उसमें प्रवेश कर सकेगा जैसा कि आवश्यक हो ।

परन्तु जहां कोई आपात स्थिति मौजूद है तो ऐसी सूचना आवश्यक नहीं होगी ।

भूमि के उपयोग के संबंध में पाबंदियॉ

8. (1) भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिसके संबंध में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उद्घोषणा की जा चुकी है, उस भूमि का, उस प्रयोजन के लिए उपयोग करने का हकदार होगा जिस प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख के ठीक पूर्व उपयोग में लायी जाती थी;

परन्तु ऐसा स्वामी या अधिभोगी धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उद्घोषणा के बाद,

(एक) कोई मकान या कोई अन्य संरचना का निर्माण;

(दो) कोई तालाब, कुऑ, जलसंग्रहण या बांध का निर्माण; या

(तीन) कोई पौधा रोपण,

उस भूमि पर नहीं करेगा ।

(2) भूमिस्वामी या अधिभोगी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे पाइपलाईन की किसी भी तरह से कोई क्षति कारित हो या होने वाला हो ।

मुआवजा 9. (1) जहां धारा 5, धारा 6 या धारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई क्षति, हानि या नुकसान होता है तो उस भूमि में हितबद्ध व्यक्ति को राज्य सरकार या निगम, ऐसी क्षति, हानि या नुकसान के लिए मुआवजा भुगतान के लिए दायी होगा, जिसकी राशि का विनिश्चयन पहली बार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

ऐसी मुआवजा राशि का विनिश्चयन करते समय क्षति या हानि के कारणों के संबंध में ध्यान रखेगा,–

(एक) धारा 5, धारा 6 या धारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जब भूमि पर कोई, वृक्षों या खड़ी फसलों को हटाया जाय ;

(दो) भूमि जिसके नीचे पाइपलाईन डाली गई है, से अस्थायी प्रभावित भूमियों से संबंधित या जिसके अधिभोग में है ऐसा व्यक्ति ; और

(तीन) कोई अन्य सम्पत्ति को कोई अन्य क्षति, चाहे वह चल हो या अचल हो और ऐसे व्यक्तियों की आय किसी भी तरह से प्रभावित हुई हो ।

(2) जहां किसी भूमि के उपयोग का अधिकार राज्य सरकार या निगम में निहित हो जाती है वहां राज्य सरकार या निगम, मुआवजा, यदि कोई हो, के अतिरिक्त धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से उस भूमि के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत परिगणित मुआवजा भुगतान के लिए दायी होगा, उक्त तारीख पर बाजार मूल्य का विनिश्चयन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा ।

स्पष्टीकरण:– बाजार मूल्य से अभिप्रेत है, विगत 3 वर्षो में उस क्षेत्र के समान भूमि के विक्रय मूल्य के आधार पर विनिश्चित् मूल्य ।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित राशि पक्षकारों में से किसी को स्वीकार्य नहीं हो तो किसी पक्षकार के द्वारा 30 दिवस के भीतर क्षेत्राधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को आवेदन किया जा सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन जिला न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा ।

मुआवजा का निक्षेप एवं भुगतान 10. (1) धारा 9 के अधीन, विनिश्चित मुआवजा राशि राज्य सरकार या निगम, यथास्थिति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसे समय में एवं इस तरह, जैसी कि विहित किया जाय, जमा किया जावेगा ।

(2) यदि मुआवजा की राशि उपधारा (1) के अधीन विहित समय में जमा नहीं की जाती तो राज्य सरकार या निगम, यथास्थिति, उस पर नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से, जिस तारीख को मुआवजा जमा होना था से वास्तविक जमा तारीख तक ब्याज भुगतान के लिए दायी होगा ।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन मुआवजा जमा होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार या निगम, यथास्थिति, की तरफ से मुआवजा भुगतान उसके हकदारों को करेगा ।

(4) यदि मुआवजा या अतिरिक्त मुआवजा के बंटवारे या उसके कोई भाग के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सक्षम प्राधिकारी उस विवाद को क्षेत्राधिकारिता रखने वाले न्यायाधीश को भेजेगा, और उस पर जिला न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा ।

सक्षम प्राधिकारी को सिविल न्यायालय की कतिपय शक्तियाँ

11. सक्षम प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित मामले के संबंध में व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 के अधीन वाद की सुनवाई के समय सिविल कोर्ट की समस्त शक्तियाँ होगी, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन्स और उपस्थिति के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्राह्य करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना;

(ड.) साक्ष्य की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना ।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाईयों का संरक्षण

12. इस अधिनियम या कोई नियम या उसके अधीन निर्मित या जारी अधिसूचना के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किये गये कार्य या कार्य करने की मंशा के लिए राज्य सरकार या निगम या सक्षम प्राधिकारी के विरूद्ध किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन

13. सिविल कोर्ट को किसी ऐसे मामले में जिसके विनिश्चयन के लिए सक्षम प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन शक्तियां दी गई है, कोई वाद ग्रहण करने या किसी वाद का विचारण करने या कोई अन्तरिम व्यादेश पारित करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

शास्ति

14. जो कोई व्यक्ति धारा 5, 6, धारा 7 के द्वारा अधिकृत किसी कार्य को करने में जान–बूझकर अवरोध करता है या धारा 5 के अधीन निर्मित किसी गड्ढे या चिन्ह को जान–बूझकर भरता है, नष्ट, क्षति या स्थानान्तरित करता है या धारा 6 के अधीन डाली गई पाइपलाईन को जान–बूझकर हटाता है, क्षति पहुंचाता है या नष्ट करता है या धारा 8 के अधीन प्रतिबंधित कोई कार्य जानबूझकर करता है, वह साधारण कारावास जिसका विस्तार 6 माह तक हो सकता है या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा ।

अपराध संज्ञेय होंगे

15. धारा 14 के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय होंगे ।

नियम बनाने की शक्तियाँ

16 (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कियान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियम बना सकेगी;

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधानसभा पटल पर रखे जायेंगे और ऐसे उपान्तरणों के अध्यधीन होंगे जो विधानसभा द्वारा किये जाएँ ।

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2004

क्रमांक 2378/21-अ/प्रारूपण/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छ. ग. भूमिगत पाइपलाईन के (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्र. 7 सन् 2004) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 7 of 2004)

THE CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

An Act to provide for the acquisition of right of user in land for laying pipelines for carrying of water, gas and electricity from one locality to another locality and to construct pipeline for carrying industrial waste and for the works connected therewith in the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty-fifth year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and Commencement. 1- (1) This Act may be called the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 2004.

(2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from Ist March, 2004.

Definitions. 2- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "competent authority" means any person or authority authorised by the State Government, by notification in the official Gazette, to perform the functions of the competent authority under this Act.

(b) "corporation" means any body corporate established under any Central or State Act, or a company formed and registered under the Company Act, 1956.

(c) "prescribed" means prescribed by rules made under the Act.

(d) "underground pipeline" means a pipeline laid at a depth of not less than one and half meter of the land surface.

Publication of notification for acquisition. 3- (1) Whenever it appears to the State Government it is necessary in the public interest that for the carrying of water, gas, electricity from one locality to another locality and to construct, pipeline for carrying industrial waste and works connected therewith, pipelines may be laid by the State Government or a corporation and that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in any land under which such pipelines may be laid, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire the right of user therein.

(2) Every notification under sub-section (1) shall give a brief description of the land.

(3) The Competent Authority shall cause the substance of the notification to be published at such places and in such manner as may be prescribed.

(4) Any person interested in the land may, within twenty-one days from the date of the notification under sub-section (1), object to the laying of the pipeline under the land.

(5) Every objection under sub-section (4) shall be made to the Competent Authority in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector and opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and may, after hearing

all such objections and after making such further inquiry, if any, as that authority thinks necessary, by order either allow or disallow the objections.

(6) Any order made by the Competent Authority under sub-section (5) shall be final.

Declaration of acquisition of right of user.

4- (1) Where no objections under sub-section (2) of section 3 have been made to the Competent Authority within the period specified therein or where the Competent Authority has passed final order, that authority shall, declare, by notification in the Official Gazette, that the right of user in the land for laying the pipelines should be acquired.

(2) On publication of the declaration under sub-section (1), the right of user in the land specified therein shall vest absolutely in the State Government free from all encumbrances.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the State Government may, on such terms and condition as it may think fit, direct by order in writing, that the right of user in the land for laying the pipelines shall. instead of vesting in the State Government vest in the corporation proposing to lay the pipelines, subject to the terms and conditions so imposed, free from all encumbrances.

Power to enter, survey etc in the land.

5- On publication of the declaration under sub-section (1) of section 4 it shall be lawful for any person authorised by the State Government or the corporation and his servants and workmen,-

(a) to enter upon and survey and take levels of any land specified in the notification;

(b) to dig or bore into the sub-soil;

(c) to set out the intended line of work;

(d) to mark such levels, boundaries and line by placing marks and cutting trenches;

(e) where otherwise survey cannot be completed and levels taken and the boundaries and line marked, to cut down and clear away any part of any standing crop, fence or jungle; and

(f) to do all other acts necessary to ascertain whether pipelines can be laid under the land.

Provided that while exercising any power under this section, such person or any servant of such person shall cause as little damage or injury as possible to such land.

State Government or Corporation to lay Pipelines.

6- (1) Where the right of user in any land has vested in the State Government or corporation under section 4,-

(i) It shall be lawful for any person authorised by the State Government or corporation, as the case may be, and his servants to enter upon the land and lay pipelines or to do any other act necessary for laying of pipelines.

Provided that no pipeline shall be laid under,-

(a) any land which immediately before the date of the notification under sub-section (1) of section 3 was used for residential purpose;

(b) any land which is appurtenant to a dwelling house; or

(ii) Such land shall be used only for laying underground pipelines and maintaining, examining, repairing, altering or removing any such pipelines or for doing any other act necessary for any of the aforesaid purposes or for the utilization of such pipelines.

(2) If any dispute arises with regards to any matter referred to in the proviso to clause (i) of sub-section (1), the dispute shall be referred to the Competent Authority whose decision thereon shall be final.

Power to enter land for inspection.

7- For maintaining, examining, repairing, altering or removing any pipeline, or measurement for any of the aforesaid purposes, or for the making any inspection, any person authorised in this behalf by the State Government or the corporation, may, after giving reasonable notice to the occupier of the land enter therein with such workmen and assistants as may be necessary;

Provided that where an emergency exists, no such notice shall be necessary.

Restriction regarding the Use of land.

8- (1) The owner of occupier of the land with respect to which a declaration has been made under sub-section (1) of section 4, shall be entitled to use the land for the purpose for which such land was put to use immediately before the date of the notification under sub-section (1) of section 3.

Provided that, such owner or occupier shall not, after the declaration under sub section (1) of section 4,-

(i) construct any building or any other structure;

(ii) construct or excavate any tank, well, reservoir or dam; or

(iii) plant any tree,

on that land.

(2) The owner or occupier of the land shall not do any act which will or is likely to cause any damage in any manner whatsoever to the pipeline.

Compensation.

9- (1) Where in the exercise of the powers conferred by section 5, section 6 or section 7 by any person, any damage, loss or injury is sustained by any person interested in the land, the State Government or the corporation, shall be liable to pay compensation to such person for such damage loss or injury the amount of which shall be determined by the Competent Authority in the first instance. While determining such compensation, he shall have due regard to the damage or loss sustained by reason of,-

(i) the removal of trees or standing crops, if any, on the land while exercising the powers under section 5, section 6 or section 7 ,

(ii) the temporary severance of the land under which the pipeline has been laid from other lands belonging to, or in the occupation of such person; or

(iii) any injury to any other property, whether movable or immovable, or the earnings of such persons caused in any other manner.

(2) Where the right of user of any land has vested in the State Government or the Corporation, the State Government or the Corporation, shall be

liable to pay, in addition to the compensation, if any, compensation calculated at ten percent of the market value of that land on the date of publication of the declaration under sub-section (1) of section 4. The market value of the land on the said date shall be determined by the Competent Authority.

Explanation:- The market value means the value determined on the basis of the sale price of similar land in the area in the last 3 years.

(3) If the value determined by the Competent Authority is not acceptable to either of the parties, an application may be made by the party within 30 days to the District Judge having jurisdiction.

(4) The decision of the District Judge under sub-section (3) shall be final.

Deposit and payment of compensation.

10- (1) The amount of compensation determined under section 9 shall deposited by the State Government or the corporation, as the case may be, with the Competent Authority within such time and in such manner as may be prescribed.

(2) If the amount of compensation is not deposited within the time prescribed under sub-section (1), the State Government or the corporation, as the case may be, shall be liable to pay interest thereon at the rate of nine percent per annum from the date on which the compensation had to be deposited till the date of actual deposit.

(3) As soon as may be after the compensation has been deposited under sub-section (1) the Competent Authority shall, on behalf of the State Government or the Corporation as the case may be, pay the compensation to the persons entitled thereto.

(4) If any dispute arises to the apportionment of the compensation or additional compensation or any part thereof, the Competent Authority shall refer the dispute to the District Judge having jurisdiction and the decision of the District Judge thereon shall be final.

Competent Authority to have certain powers of civil court.

11- The Competent Authority shall have for the purposes of this Act, all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of C: Procedure 1908, in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving of evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record from any court or office;

(e) issuing commission for examination of witnesses.

Protection of action taken in good-faith.

12- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of this Act or any rule or notification made or issued there under.

Bar of jurisdiction of civil court.

13- No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or try any dispute or pass any interim injunction in respect of any matter which the Competent Authority is empowered under this Act.

Penalty. 14- Whoever willfully obstructs any person in doing any of the acts authorized by section 5, section 6 or section 7 or willfully fills up destroys, damages or displaces any trench or mark made under section 5, or willfully removes, damages or destroys the pipeline laid under section 6, or willfully does any act prohibited under section 8 shall be punishable with simple imprisonment which may extend to six months or with fine or with both.

Offences to be cognizable. 15- All offences under section-14 shall be cognizable.

Power to make rules. 16- (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly and shall be subject to such modifications as the Legislative Assembly may make.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.